भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4373

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

जनजातीय स्मारकों और संग्रहालयों की स्थापना

4373. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनजातियों और जनजातीय सांस्कृतिक धरोहरों तथा भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाने वाले स्मारकों और संग्रहालयों की स्थापना की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का क्षेत्रीय, मंडल या जिला स्तर पर ऐसे केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जनजातीय, अति पिछड़े और वंचित समूहों के आत्म-गौरव को बढ़ाने के लिए स्थानीय अथवा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले जनजातीय लोगों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को स्वीकार करने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों के निर्माण हेतु 11 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है। इनके अलावा, विभिन्न जनजातियों के जीवन और संस्कृति से संबंधित समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ कलाकृतियाँ, पोशाकें, आभूषण, हथियार आदि को प्रदर्शित करने के लिए नृवंशविज्ञान संग्रहालय को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अनुदान प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को भूमि उपलब्ध कराना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना तथा निर्माण एवं क्यूरेशन एजेंसी के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन करना अपेक्षित है। इसके अलावा, जैसा कि सूचित किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय निर्मित विरासत स्थलों का संरक्षक है, जो मुख्य रूप से पुरातात्विक अन्वेषणों, उत्खननों या लूज मूर्तियों से प्राप्त कलाकृतियों या स्थल पर/निकट स्थित स्मारकों से अलग की गई मूर्तियों को प्रदर्शित करने के लिए 'पुरातात्विक स्थल संग्रहालय' विकसित करता है, ताकि वस्तुएं अपना सांस्कृतिक महत्व न खोएं।

(ख): अभी तक ऐसे आंचलिक, डिवीजनल (मंडल) या जिला स्तरीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करता है, जो निम्नानुसार हैं:

i. जनजातीय महोत्सव, जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान दौरे, राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला, राष्ट्रीय/राज्य जनजातीय नृत्य महोत्सव, कला प्रतियोगिता, जनजातीय चित्रकला पर कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम और राज्य स्तरीय जनजातीय कवि और लेखक सम्मेलन।

ii. जनजातीय मेलों और उत्सवों का आयोजन, उत्सव जैसे तेलंगाना की कोया जनजाति द्वारा आयोजित "मेदाराम जतरा", नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, झारखंड का सरहुल महोत्सव, गोवा का लोकोत्सव और मिजोरम का पावल कुट महोत्सव आदि।

iii. इसके अलावा, भारत सरकार ने सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को याद करने और स्वीकार करने तथा जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को फिर से सक्रिय करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर वर्ष 2021 से अपने जनजातीय लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। साथ ही, भारत सरकार 15 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2025 तक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही है।

इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय उत्पादकों के आधार का विस्तार करने के लिए राज्यों/जिलों/गांवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों और नए उत्पादों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आदि महोत्सव उत्सव और जनजातीय कारीगर मेलों (टीएएम) का भी आयोजन करता है।

इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय भारत की विविध संस्कृति के संरक्षण और परिरक्षण के अपने बड़े अधिदेश के भाग के रूप में जनजातीय संस्कृति सहित संस्कृति के संवर्धन हेतु नोडल मंत्रालय है। देश भर में जनजातीय संस्कृति सहित लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए, संस्कृति मंत्रालय ने 1985-86 के दौरान देश में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में हैं।

*****